अपील /19/2023 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

श्रीमती सविता देवी पुत्री श्री राजपाल पत्नी श्री सत्यपाल जाति जाटव निवासी ग्रांम पार तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी ग्रांम बिरजापुर अदूकी तहसील व जिला मथुरा यू0पी0

.....अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार भरतपुर (भूमिधारी) तहसील भरतपुर
2—राजपाल पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी ग्रांम पार तहसील व जिला भरतपुर

..... तरतीवी रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956 विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार भरतपुर दिनांक 25.7.2023 दाखिल खारिज संख्या 735 खसरा नम्बर 456/0.42 है0 स्थित बगधारी तहसील व जिला भरतपुर।

उपस्थित :—
1—श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—राजकीय अभिभाषक रेस्पो.—1

निर्णय दिनांक 02.08.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 25.7.2023 के पेश की गई है। तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश विवादित नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 25.7.2023 ग्रांम बगधारी तहसील भरतपुर निरस्त किये जाने की आज्ञा पारित की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो की तलबी की गई। पत्रावली तहत तलब की गई। तहसीलदार भरतपुर के पत्रांक/एलआर/24/728 दिनांक 15.2.2024 से नामान्तकरण संख्या 735 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्टा के पिता राजपाल रेस्पो.2 ने आराजी खसरा नम्बर 456/0.4200 है0 का एक दान पत्र अपनी पुत्री अपीलान्ट श्रीमती सविता देवी पुत्री राजपाल धर्मपत्नि सत्यपाल जाति जाटव निवासी पार तहसील व जिला

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

भरतपुर हाल निवासी रिजापुर अदूकी जिला मथुरा उत्तर प्रदेश के हक में रजिस्टर्ड निष्पादित किया गया। अपीलान्टा ग्रांम पार तहसील भरतपुर की निवासी ही जिसकी शादी जिला मथुरा यूपी में हुई है। अपीलान्ट व रेस्पो संख्या– 2 आपस में सगे प्राकृतिक पुत्री व पिता हैं, इसलिए जो जाति पिता की है वही जाति पुत्री अपीलांट की भी आजीवन रहेगी एवं अपीलांट की शादी अन्य प्रान्त में हो जाने के उपरान्त भी जाति मूलतः जन्म से जो है वही रहेगी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट भारत के किसी भी प्रान्त में रहे उसकी जाति का प्रमाण पत्र उसके जन्म स्थान के राज्य राजस्थान में ही नियमानुसार बनेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 11.2.2009 को आधार मानकर दाखिल खारिज को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय नई दिल्ली के परिपत्र संख्या बी0सी/60/4/1/82 एस.सी. एवं एस.टी. दिनांक 6.8.1984 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मूल निवासी उनके मूल जन्म राज्य के अनुरुप रहेगें अर्थात उनकी जाति मूल जन्म स्थान के राज्य के अनुरुप रहेगी। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अन्त में अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर, मुताबिक पंजीकृत दानपत्र दिनांक 01.06.2023 के आधार पर हाल खसरा नम्बर 456/042 है0 के 16/42 हिस्सा पर अपीलांट के पक्ष में दाखिल खारिज स्वीकार किये जाने की आज्ञा दिये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 735 का अवलोकन किया। तहसीलदार भरतपुर द्वारा रिपोर्ट पटवारी/आईएलआर के आधार पर यह नामान्तकरण निरस्त किया गया है। नामान्तकरण पर पटवारी/आईएलआर ने अपनी रिपोर्ट में दानग्रहिता द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र पेश नहीं किये जाने के जाने के कारण निरस्त किये जाने की रिपोर्ट की है। दान पत्र के अवलोकन से जाहिर है कि राजपाल पुत्र दौजी जाति जाटव निवासी पार ने आराजी खसरा नम्बर 456 रकवा 0.42 है0 में से 16/42 हिस्सा अपनी पुत्री श्रीमती सविता देवी आयु 30 साल पुत्री राजपाल धर्मपत्नि श्री सत्यपाल जाति जाटव निवासी पार तहसील भरतपुर हाल जिला मथुरा यू.पी. के हक में रजिस्टर्ड दान पत्र किया गया है। अपीलान्ट व रेस्पो संख्या 2 आपस में सगे प्राकृतिक पुत्री व पिता हैं। पुत्री की जाति पिता की जाति के आधार पर ही मानी जाती है। तहत न्यायालय ने स्वयं का माईन्ड एप्लाई ना कर केवल मात्र रिपोर्ट पटवारी/गिर्दावर के आधार पर सुक्ष्म अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे समर्थन योग्य नहीं पाते हैं।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अस्तु प्रकरण को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि तहसीलदार भरतपुर प्रचलित नियमों के तहत जांच कर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 735 दिनांक 25.7.2023 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रचलित नियमों के तहत परिक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 2.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर